



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 19 सितम्बर, 2025

थाना खर्जा देहात

टावरों से चोरी करने वाले गिरोह के 03 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से टावर का आरआरयू, चोरी की बैटरी, घटना में प्रयुक्त गाड़ी व 8,000/- रुपये बरामद ।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18.09.2025 की रात्रि में थाना खर्जा देहात पुलिस व स्वाट टीम पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर ग्राम धरपा रेलवे अण्डरपास के पास से टावरों से चोरी करने वाले गिरोह के 03 शातिर सदस्य को आरआरयू, चोरी की बैटरी, घटना में प्रयुक्त गाड़ी व 8,000/- रुपये आदि सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खर्जा देहात पर पंजीकृत मुअसं- 322/25 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. समीर पुत्र जलालूद्दीन निवासी ग्राम अहलादपुर नीवरी थाना रोरावर जनपद अलीगढ़।
2. तहसीम पुत्र यामीन निवासी मोहल्ला भुजपुरा चौराहा थाना उपरकोट जनपद अलीगढ़।
3. शाहरूख पुत्र जलालूद्दीन निवासी ग्राम अहलादपुर नीवरी थाना रोरावर जनपद अलीगढ़।

बरामदगी-

1. 02 टावरों का आरआरयू
2. 02 मोबाईल टावर बैटरी
3. 02 मोडयूल
4. 20 मीटर केबिल तार
3. 01 स्कार्पियो कार नं0 UP-80-DV-5196(घटना में प्रयुक्त)
4. 8,000/- रुपये नकद

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो टावरों की बैटरी व अन्य सामान चोरी करने की घटना कारित करते हैं। बरामद स्कार्पियो कार को अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त किया जाता है जिसे एमवी एक्ट में सीज किया गया है। अभियुक्तों द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों के टावरों में बैटरी व अन्य सामान चोरी की घटना कारित करने की स्वीकारोक्ति की गयी है-

अभियुक्तों द्वारा थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खुरमपुर में एक टावर से आरआरयू चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर मुअसं- 359/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा थाना खर्जा देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हजरतपुर में एक टावर से आरआरयू चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खर्जा देहात पर मुअसं- 322/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा थाना खर्जा देहात क्षेत्रान्तर्गत एक टावर से आरआरयू चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खर्जा देहात पर मुअसं- 326/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत एक टावर से आरआरयू चोरी, पावर केबल व मोडयूल चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 599/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत दो टावर की बैटरी चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 571/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगणों समीर, तहसीम, शाहरुख का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 359/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 326/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 599/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 571/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 322/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

### स्वाट टीम-

- 1- मोहम्मद असलम, प्रभारी स्वाट टीम
- 2- है0का0 कपिल नैन, है0का0 प्रदीप कुमार, है0का0 निकुंज यादव, है0का0 राहुल त्यागी, है0का0 मनीष त्यागी, है0का0 मौ0 आरिफ, है0का0 अनुज राठी, है0का0 अंकुर धामा, का0 रोहित कुमार, का0 नरेन्द्र कुमार, का0 सचिन चौहान, का0 श्याम सुंदर, का0 अमित कुमार

### थाना खुर्जा देहात टीम-

1. श्री मनोज कुमार अतिरिक्त प्रभारी थाना खुर्जा देहात
2. उ0नि0 आनन्द कुमार, उ0नि0 संजीव कुमार, उ0नि0 शेखर सिंह
3. है0का0 सौरभ मलिक, है0का0 विवेक कुमार, है0का0 मनोज राणा, का0 अजयवीर, का0 राजकमल, का0 अमित

